इंडिया मशीनरी स्टोर्स (पी) लिमिटेड

बनाम

आय आयोग-कर, बिहार

6 मई, 1970

[जे. सी. शाह, के. एस. हेगड़े और ए. एन. ग्रोवर, न्यायमूर्तिगण]

आय-कर अधिनियम, 1922, धारा 66 ए(2) - उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र - उच्च न्यायालय को आधारों का उल्लेख करना चाहिए - प्रमाण-पत्र केवल तभी उचित है जब कोई बड़ा सार्वजनिक या निजी महत्व का प्रश्न विचाराधीन हो।

अपीलकर्ता एक निजी लिमिटेड कंपनी थी जिसका उद्देश्य किसी अन्य कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय को अपने नियंत्रण में लेना था। 2 अगस्त, 1956 के एक समझौते के माध्यम से, अपीलकर्ता कंपनी विक्रेताओं की सभी संपत्तियों, सद्भावना आदि को खरीदने के लिए सहमत हुई। समझौते के खंड 4 में यह प्रावधान था कि उनके व्यवसाय के संबंध में विक्रेताओं की सभी संपत्तियां 1 अगस्त, 1956 को "विक्रेताओं के लेखा पुस्तकों में दर्ज पुस्तकीय मूल्य पर ली जाएंगी"। आय-कर अधिकारी ने निर्धारण वर्ष के लिए कार्यवाही में पाया कि विक्रेताओं की पुस्तकों में 1 अगस्त, 1956 को 'स्टॉक का मूल्य' रु 1,77,285 था, लेकिन अपीलकर्ता कंपनी की पुस्तकों में उसी दिन लिए गए शुरुआती स्टॉक का मूल्य 2,10,225 रुपये आंका गया था। बाद वाला मूल्यांकन हस्तांतरण विलेख के साथ संलग्न अनुसूची में भी दिखाई दिया। आयकर अधिकारी ने पाया कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा शुरुआती स्टॉक का मूल्यांकन "विक्रेताओं और कंपनी के बीच समझौते का स्पष्ट उल्लंघन" था। तदनुसार उन्होंने 33,000/- रुपये की राशि जोड़ी, जो विक्रेताओं के खातों में क्लोजिंग स्टॉक (अंतिम रहतिया) और कंपनी के खातों में ओपनिंग स्टॉक (प्रारंभिक रहतिया) के मूल्य के

बीच के अंतर को दर्शाती थी। इस आदेश की पुष्टि अपीलीय सहायक आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में की गई। संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय ने इन अधिकारियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

अभिनिर्धारित (i) प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय उच्च न्यायालय ने केवल यह टिप्पणी की कि यह 'उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए एक उपयुक्त मामला' था: उन्होंने उन आधारों का संकेत नहीं दिया जिन्होंने उन्हें यह मानने के लिए प्रेरित किया कि यह इस न्यायालय में अपील के लिए एक उपयुक्त मामला था। न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए यह सहायक होगा यदि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66 ए (2) के तहत किसी मामले को अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित करते समय, उच्च न्यायालय उस कानूनी प्रश्न को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे जिसे वे सार्वजनिक या निजी महत्व का मानते हैं और जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जाना है। [543 जी]

(ii) यह सत्य है कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66(1) और (2) के तहत केवल कानून का प्रश्न ही राय के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है, लेकिन धारा 66ए(2) के तहत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब प्रस्तावित अपील में अत्यधिक सार्वजनिक या निजी महत्व का प्रश्न उठता हो। यह नहीं माना जा सकता कि केवल इसलिए कि धारा 66 के तहत उच्च न्यायालय को कानून का प्रश्न संदर्भित किया जा सकता है, प्रस्तावित अपील में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक या निजी महत्व का कानूनी प्रश्न भी निहित होगा। इसके विपरीत कोई भी अन्य दृष्टिकोण, धारा 66 के तहत दिए गए उच्च न्यायालय के प्रत्येक संदर्भ संबंधी विचार को इस न्यायालय में अपील योग्य बना देगा। [544 बी सी]

कुछ उच्च न्यायालयों में धारा 66ए(2) के तहत मामले को प्रमाणित करने के लिए बिना कारण या आधार दर्ज किए प्रमाण-पत्र जारी करने की जो प्रथा अपनाई जा रही है, वह वर्तमान मामले में उस प्रक्रिया से विचलन को उचित नहीं ठहराती है, जो कई साल पहले

प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के निर्णय द्वारा निर्धारित की गई थी। उस निर्णय के अनुसार, धारा 66ए(2) के तहत ऐसा प्रमाण-पत्र जो सटीक रूप से आधारों को स्पष्ट नहीं करता है या अत्यधिक सार्वजनिक या निजी महत्व का प्रश्न नहीं उठाता है, वह अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है।[544 ई]

आयुक्त, आयकर, सेंट्रल प्रोविंसेज़ एवं बरार बनाम सर एस. एम. चितनवीस, 1 आर. 59 एल. ए. 290 — *अनुसरण किया गया।*

दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली, एल. आर. 54 आई. ए. 421; *बनारसी प्रसाद बनाम काशी कृष्ण नारायण एवं अन्य,* एल. आर. 28 आई. ए. 11; *राधा कृष्ण दास बनाम राय कृष्ण चंद,* एल. आर. 48 आई. ए. 31; *तथा राधाकृष्ण अय्यर बनाम स्वामीनाथ अय्यर,* एल. आर. 48 आई. ए. 31 — *लागू किए गए।*

(iii) अपीलकर्ता ने हस्तांतरित स्टॉक के मूल्यांकन में हुई विसंगति का कोई स्पष्टीकरण देने का प्रयास नहीं किया। आयकर अधिकारी का यह मत था कि कंपनी ने अंतिम लाभ को कम दिखाने के उद्देश्य से शुरुआती स्टॉक का मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया था। इस मत की पुष्टि अपीलीय सहायक आयुक्त तथा न्यायाधिकरण द्वारा भी की गई। न्यायाधिकरण के आदेश से कोई विधि संबंधी प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। अतः संदर्भ स्वयं ही अवैध था। [545 ए-बी]

दीवानी अपीलीय न्यायनिर्णयः 1967 की दीवानी अपील सं. 376

दिनांक 8 दिसंबर 1965 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा विविध न्यायिक वाद संख्या 38 सन् 1962 में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील

अपीलकर्ता की ओर से— *एम. सी. छागला तथा आर. सी. प्रसाद।*

उत्तरदाता की ओर से— *जगदीश स्वरूप, महान्यायवादी; जी. सी. शर्मा, आर. एन. सचथे तथा बी. डी. शर्मा।*

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया।

शाह, न्यायमूर्ति - यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66ए (2) के अंतर्गत प्रदत्त प्रमाणपत्र के आधार पर दायर की गई है।

इंडिया मशीनरी स्टोर्स (प्राइवेट) लिमिटेड एक निजी कंपनी है, जिसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि वह 'इंडिया मशीनरी एंड मिल्स स्टोर्स' नामक फर्म द्वारा संचालित व्यवसाय को अपने अधीन ले सके, जिसे आगे 'विक्रेता' कहा गया है। दिनांक 2 अगस्त 1956 के एक समझौते के अनुसार, कंपनी ने विक्रेताओं की समस्त परिसंपत्तियाँ, सद्भावना तथा स्थानांतरण की तिथि पर कंपनी के विरुद्ध विद्यमान 'पुस्तक ऋण तथा अन्य देनदारियाँ एवं दावे' खरीदने पर सहमति व्यक्त की, जिसके प्रतिफल में कंपनी द्वारा 2,60,000 रुपये के नाममात्र मूल्य के 260 पूर्णतः अदा किए गए शेयर आवंटित किए जाने थे। समझौते की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया था—

"कि विक्रेताओं के समस्त व्यवसाय से संबंधित सभी परिसंपत्तियाँ, 1 अगस्त 1956 को विक्रेताओं की लेखा पुस्तकों में दर्ज मूल्य के अनुसार ही ग्रहण की जाएँगी।"

सन् 1958-59 के कर निर्धारण की कार्यवाही में, आयकर अधिकारी ने पाया कि

विक्रेताओं की पुस्तकों में 1 अगस्त 1956 को 'स्टॉक का मूल्य' 1,77,285 रुपये दर्शाया गया था, जबकि कंपनी की पुस्तकों में उसी दिन ग्रहण किए गए प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 2,10,285 रुपये अंकित किया गया था। आयकर अधिकारी ने यह माना कि कंपनी द्वारा प्रारंभिक स्टॉक का किया गया मूल्यांकन विक्रेताओं और कंपनी के बीच हुए समझौते की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है, और इस कारण 33,000 रुपये की राशि, जो विक्रेताओं की पुस्तकों में समापन स्टॉक के मूल्य और कंपनी की पुस्तकों में प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य के अंतर का प्रतिनिधित्व करती थी, को जोड़ा गया। इस आदेश की पुष्टि अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा भी की गई।

पटना उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भित निम्नलिखित प्रश्न पर अपना उत्तर हाँ में दियाः

> “क्या इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा दिनांक 2 अगस्त 1956 के समझौते की व्याख्या के आधार पर, न्यायाधिकरण यह मानने में उचित था कि 33,000 रुपये की राशि निर्धारिती कंपनी के कर योग्य लाभ का भाग है?“

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अधिनियम की धारा 66ए (2) के अंतर्गत इस प्रकरण को इस न्यायालय में अपील हेतु उपयुक्त मानते हुए प्रमाणित किया और यह कहा—”

> “कि यह प्रकरण भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66ए (2) की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है।“

अपील की सुनवाई के समय, आयकर आयुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपील ग्राह्य नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को अपील हेतु उपयुक्त घोषित करते समय उस विधि संबंधी प्रश्न का उल्लेख नहीं किया, जिसका निर्णय इस न्यायालय को करना है। यह भी कहा गया कि प्रमाणपत्र या प्रकरण को प्रमाणित करने वाले आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस मामले में कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी महत्व का विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है, और इसी आधार पर उसे अपील के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। हमारे मत में यह तर्क स्वीकार किया जाना चाहिए।

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66ए, जिसे भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम 24 सन् 1926 द्वारा जोड़ा गया था, उसकी उपधारा (2) में यह प्रावधान है—

> ”किसी भी ऐसे प्रकरण में, जिसमें उच्च न्यायालय धारा 66 के अंतर्गत किए गए संदर्भ पर निर्णय देता है, और उसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित करता है, उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।”

आयकर अधिनियम की धारा 66ए की उपधारा (2) की शब्दावली मूलतः वही है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 109 (क), तथा संविधान के अनुच्छेद 133(1)(क) और अनुच्छेद 134(1)(क) में प्रयुक्त हुई है। न्यायिक समिति ने *दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली*[1] के मामले में यह कहा—

> '....यह ध्यान देने योग्य है कि इस उपधारा (2) द्वारा प्रदान की गई अपील केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है जिन्हें उच्च न्यायालय "महाराजाधिराज की परिषद में अपील के लिए उपयुक्त" प्रमाणित करता है। ये शब्द दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 109 (क) के अंतिम शब्दों के समान हैं, और उपधारा (3) में दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रति सावधानीपूर्वक सीमित संदर्भ के साथ मिलकर, उनके लॉर्डशिप्स (आधिपत्य) के मत में, ऐसे मामलों को अपील के अधिकार से बाहर कर देते हैं जो संहिता की धारा 110 की आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तथा उस अधिकार को केवल उन मामलों तक सीमित कर देते हैं जिन्हें अन्यथा महाराजाधिराज की परिषद में अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो।'"

बनारसी प्रसाद बनाम काशी कृष्ण नारायण एवं अन्य[2] के मामले में न्यायिक समिति ने यह स्पष्ट किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त 'अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित करना' अभिव्यक्ति का उद्देश्य विशेष प्रकार के मामलों को सम्मिलित करना है— जैसे वे मामले जिनमें विवादित प्रश्न धनराशि से मापा नहीं जा सकता, यद्यपि वह अत्यंत सार्वजनिक या निजी महत्व का हो सकता है। ऐसे प्रकार के मामले को प्रमाणित करना, यद्यपि पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसे उस विवेक के विशेष प्रयोग के बिना नहीं किया जा सकता, और यह एक उपयुक्त प्रमाणपत्र द्वारा प्रकट होना चाहिए।"

---

1 एल. आर. 54 आई. ए. 421

2 एल. आर. 28 आई. ए. 11

"राधा कृष्ण दास बनाम राय कृष्ण चंद [3]के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह प्रमाणपत्र जारी किया था कि 'यद्यपि मामले का मूल्य 10,000 रुपये से कम है, तथापि उसके मूल्य और स्वरूप के दृष्टिकोण से वह दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 596 की आवश्यकताओं को पूरा करता है।' उस मामले में विवादित विषय का मूल्य 10,000 रुपये से कम था, और न्यायिक समिति ने यह कहा कि यद्यपि धारा 596 का उल्लेख किया गया था, तथापि यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले न्यायाधीशों ने इस प्रश्न पर अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किया था कि धारा 595 (सी) और धारा 600 का पालन करने के लिए क्या यह मामला महारानी की परिषद में अपील हेतु उपयुक्त है। इसी आधार पर अपील को अयोग्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया।

राधाकृष्ण अय्यर बनाम स्वामीनाथ अय्यर[4] के मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐसे प्रकरण में प्रमाणपत्र प्रदान किया, जिसमें दावा 4,560 रुपये किराये के रूप में देय था। उस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था—"

> "यह प्रमाणित किया जाता है कि विवादित विषय के मूल्य तथा उसमें निहित प्रश्न की प्रकृति के संबंध में यह प्रकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता की धाराओं 109 और 110 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और यह प्रकरण महाराजाधिराज की परिषद में अपील के लिए उपयुक्त है।"

न्यायिक समिति ने यह कहा कि जब भी किसी प्रकरण के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उस प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि वह किस आधार पर दिया गया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 109 (क) के अंतर्गत प्रकरण के आने संबंधी तर्क पर विचार करते हुए उनके लॉर्डशिप्स ने कहा—

---

3 एल.आर. 28 आई.ए. 1821

4 एल.आर. 48 आई.ए. 31

'प्रमाणपत्र में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह कौन-सा प्रश्न है जिसकी प्रकृति को इस अपील की सुनवाई में सम्मिलित माना गया है, और न ही यह दर्शाने के लिए कुछ है कि धारा 109 (क) द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया या किया गया था। उनके लॉर्डशिप्स का मत है कि ऐसे प्रमाणपत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वे वादकारियों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, और उन्हें ऐसे रूप में दिया जाना चाहिए कि उनके अर्थ के संबंध में कोई भ्रम की संभावना न रहे।'

इसके अतिरिक्त, न्यायिक समिति ने *आयकर आयुक्त, सेंट्रल प्रोविंसेज़ एवं बरार बनाम सर एस. एम. चितनवीस*[5] के मामले में यह भी कहा कि जब आयकर अधिनियम की धारा 66ए के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, तो वह केवल किसी विशेष निर्धारिती से संबंधित, या किसी विशिष्ट प्रकरण के साक्ष्यों की स्थिति पर निर्भर प्रश्न पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो व्यापक सार्वजनिक महत्व का हो, जो सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हो और सामान्य रूप से करदाताओं को प्रभावित करता हो।"

प्रमाणपत्र प्रदान करते समय उच्च न्यायालय ने मात्र यह कहा कि यह 'सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त प्रकरण है'; उन्होंने उन आधारों का उल्लेख नहीं किया जिनके कारण उन्होंने इसे इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त माना। न्याय के बेहतर प्रशासन की दृष्टि से यह उचित होगा कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66ए (2) के अंतर्गत किसी प्रकरण को अपील हेतु उपयुक्त प्रमाणित करते समय उच्च न्यायालय उस विधि संबंधी प्रश्न को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करे, जिसे वह अत्यंत सार्वजनिक या निजी महत्व का मानता है और जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

श्री छागला ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दीवानी मामलों में अपील के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 109 (क) तथा सन् 1882 की संहिता की धारा 596 के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्रों पर न्यायिक समिति द्वारा निर्धारित सिद्धांत, धारा 66ए (2) के

---

5 एल, आर. 59 आई. ए. 290.

अर्थ निर्धारण में लागू नहीं होते, क्योंकि उच्च न्यायालय विधि संबंधी प्रश्नों पर संदर्भ के रूप में परामर्शात्मक अधिकारिता का प्रयोग करता है। इस आधार पर यह कहा गया कि यदि उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्न प्रमाणपत्र में उल्लिखित न भी हो, तो जब उच्च न्यायालय किसी प्रकरण को अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित करता है, तब यह माना जा सकता है कि कोई महत्वपूर्ण विधि संबंधी प्रश्न निहित है, और प्रमाणपत्र में तकनीकी त्रुटि की उपेक्षा की जा सकती है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह सत्य है कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (1) एवं (2) के अंतर्गत केवल विधि संबंधी प्रश्न ही उच्च न्यायालय को मत के लिए संदर्भित किए जा सकते हैं, किन्तु धारा 66ए (2) के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब प्रस्तावित अपील में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी महत्व का विधि प्रश्न उत्पन्न हो। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इस कारण कि धारा 66 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विधि संबंधी प्रश्न संदर्भित किया जा सकता है, प्रस्तावित अपील में अनिवार्य रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण विधि प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि ऐसा माना जाए, तो धारा 66 के अंतर्गत संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्येक राय इस न्यायालय में अपील योग्य हो जाएगी। हमारे मत में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र दोषपूर्ण था।

यह भी निवेदन किया गया कि कुछ उच्च न्यायालयों में यह प्रथा काफी सामान्य है कि धारा 66ए (2) के अंतर्गत बिना किसी कारण या आधार को अभिलिखित किए ही किसी प्रकरण को प्रमाणित कर दिया जाता है, और जब हम पहली बार सही सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, तब कंपनी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु हमारे मत में, यह सिद्धांत अनेक वर्ष पूर्व ही न्यायिक समिति के निर्णयों द्वारा स्थापित किया जा चुका है कि धारा 66ए (2) के अंतर्गत ऐसा प्रमाणपत्र, जिसमें स्पष्ट रूप से आधारों का उल्लेख न हो या जिसमें किसी अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी महत्व के प्रश्न को प्रस्तुत न किया गया हो, अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता। इस न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र,

भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभिमत के विरुद्ध अपील सुनने का, तभी उत्पन्न होता है जब उच्च न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो या जब यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति प्रदान करे।

हमारे मत में, इस अपील में भी कोई सार नहीं है। दिनांक 2 अगस्त 1956 के समझौते की धारा 4 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया थ—

'कि विक्रेताओं के समस्त व्यवसाय से संबंधित सभी परिसंपत्तियाँ, 1 अगस्त 1956 को विक्रेताओं की लेखा पुस्तकों में अंकित मूल्य पर ही ग्रहण की जाएँगी।'"

यह निर्विवाद है कि उपक्रम के हस्तांतरण की तिथि पर विक्रेताओं की लेखा पुस्तकों में व्यापारिक भंडार का मूल्य 1,77,285 रुपये अंकित था, जबकि कंपनी ने उसी भंडार का मूल्य 2,10,285 रुपये निर्धारित किया। यह सत्य है कि हस्तांतरण विलेख के साथ कंपनी द्वारा ग्रहण की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की एक अनुसूची संलग्न है, और उस अनुसूची में पटना, मुज़फ्फरपुर तथा पूर्णिया स्थित भंडार का मूल्य 2,10,285.87 रुपये दर्शाया गया है। समझौते के क्रियाशील भाग और अनुसूची में दर्शाए गए मूल्यांकन के बीच इस विसंगति का कोई स्पष्टीकरण देने का प्रयास नहीं किया गया। आयकर अधिकारी का मत था कि कंपनी ने अंतिम लाभ को कम दिखाने के उद्देश्य से प्रारंभिक भंडार का मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया है। इस मत की पुष्टि अपीलीय सहायक आयुक्त तथा न्यायाधिकरण द्वारा की गई। न्यायाधिकरण के आदेश से कोई विधि संबंधी प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। अतः संदर्भ स्वयं ही अवैध था।

अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

जी. सी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता ।

समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।